मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक:29.06.2025

साइबर क्राइम थाना मीरजापुर पुलिस द्वारा आमजन को प्रलोभन देकर अवैध रुप से खाता खोलवाकर भिन्न-भिन्न तरीकें से प्रतिदिन लाखों की ऑनलाइन ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, ऑनलाइन ठगी की घटना में प्रयुक्त लैपटाप, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड बरामद —

"सोमेन बर्मा" वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर के निर्देशन में साइबर अपराध पर प्रभावी नियन्त्रण बनायें रखने हेतु NCRP COMPLAINTS कि जांच एवं साइबर थाना पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना के क्रम में साइबर क्राइम थाना मीरजापुर को ऑनलाइन फ्राड की घटना कारित करने वाले एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है । इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के माध्यम से लोकेशन ट्रैक कर, जनता के भोले-भाले लोगों को बहकाकर व कुछ पैसों का लालच देकर भिन्न-2 तरीकों से प्रतिदिन लाखों रुपये का ठगी कर आर्थिक अपराध करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए साइबर क्राइम थाना मीरजापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-21/2025 धारा 316(2),318(4),351(3),352 बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट से सम्बन्धित एक शातिर अभियुक्त सत्यम पाठक पुत्र विनोद पाठक निवासी कम्हारी कोटवा थाना पड़री जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया । यह संगठित गैंग देशभर में अलग-2 प्रान्तों में रहकर अपनी ब्रांच आफिसों के माध्यम से प्रतिदिन लाखों रूपये के साइबर फ्राड की घटना को अन्जाम दे रहे हैं । जिसमें आमजन अज्ञानता वश एवं लालच में पड़ कर इनका शिकार बन रहें हैं । संगठित गैंग के अन्य अभियुक्तों की तलाश/गिरफ्तारी हेतु टीमें प्रयासरत् है ।

अपराध करने का तरीका—

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा भोली-भाली जनता को सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लालच देकर तथा आम जनमानस को गुमराह करके उनकों कुछ पैसें की लालच देकर भिन्न-2 बैंकों में खाता खुलवाकर अपने गैंग के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराकर उन खातों में साइबर फ्राड का पैसा मंगवाकर साइबर अपराध कारित करते है तथा फ्राड के पैसे से भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेते है ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

सत्यम पाठक पुत्र विनोद पाठक निवासी कम्हारी कोटवा थाना पड़री जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-24 वर्ष ।

विवरण बरामदगी —

01 अदद लैपटाप TUF gaming, 02 अदद चेक बुक, 03 अदद एटीएम कार्ड, 08 अदद पासबुक, 02 अदद आधार कार्ड, 02 अदद पैन कार्ड, 18 अदद पासपोर्ट साइज फोटो, 02 अदद सिम कार्ड, 04 अदद सिम लिफाफा ।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-21/2025 धारा 316(2),318(4),351(3),352 बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट, साइबर क्राइम थाना मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास से, दिनांकः28.06.2025 समय 16.10 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

निरीक्षक रामअधार यादव प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना मीरजापुर।

निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार व उप-निरीक्षक अरविन्द कुमार यादव, साइबर क्राइम थाना मीरजापुर।

मुख्य आरक्षी देवानन्द सिंह व संतोष कुमार, आरक्षी सोनू कुमार व प्रभाकर, साइबर क्राइम थाना मीरजापुर।